



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 566 राँची, मंगलवार, 3 सितम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

19 जुलाई, 2024

संचिका संख्या:- 4/आरोप-702/2024 का० 4720--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध बिना राज्य सरकार की अनुमति के दिल्ली विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय विधि स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने हेतु मुख्यालय से प्रस्थान करने एवं दिनांक- 20.03.2023 से अबतक कर्तव्य अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा श्री सिंह द्वारा प्रायः पत्र अथवा ईमेल से सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालय/ मुख्य सचिव/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को अवकाश स्वीकृति के सम्बन्ध में आवेदन दिया जाता रहा है, जो कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र संख्या-10201 दिनांक-23.10.2013 की अवहेलना का आरोप प्रतिवेदित करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक953 दिनांक-26.04.2024 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है ।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक-3526 दिनांक-22.05.2024 द्वारा श्री सिंह से आरोप के सम्बन्ध में बचाव-बयान की माँग की गई तथा विभागीय पत्रांक-4239 दिनांक-28.06.2024 द्वारा इन्हें स्मारित भी किया गया। श्री सिंह द्वारा दिये गये बचाव-बयान को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त अस्वीकृत किया गया।

3. श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड राकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री आसिफ हसन, संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को एतद् द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री रंजीव कुमार चौधरी, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

चिन्दु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव।
